

न्यायालय: श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय, अतिरिक्त मुख्य
न्यायिक मजिस्ट्रेट, अंजड़, जिला बड़वानी (म0प्र0)

आपराधिक प्रकरण क्रमांक 53 / 2013
संस्थान दिनांक 13.02.2013

म0प्र0 राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र, अंजड़
जिला-बड़वानी म0प्र0

-----अभियोगी

विरुद्ध

अफजल पिता वसीम, आयु 36 वर्ष,
निवासी- ग्राम चाचरिया, थाना सेंधवा
जिला- बड़वानी म.प्र.

-----अभियुक्त

// निर्णय //

(आज दिनांक 30.06.2015 को घोषित)

1. पुलिस थाना अंजड़ द्वारा अपराध क्रमांक 20/2013 अंतर्गत 304-ए भा.द.सं. में दिनांक 13.01.2013 को प्रस्तुत अभियोग पत्र के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध दिनांक 30.02.2013 को दिन के लगभग 01:00 बजे, अंजड़-बड़वानी रोड़, सोसाड़ पुल पार महेन्द्र के घर के सामने वाहन बस क्रमांक एम.पी. 18 जी. ए. 0447 को उपेक्षापूर्ण ढंग से अथवा उतावलेपन से चलाकर राकेश को टक्कर मारकर उसकी ऐसी मृत्यु कारित करने जो आपराधिक मानव वध की कोटि में नहीं आती है, के संबंध में अभियुक्त पर धारा 304-ए भा.द.सं. के अंतर्गत अपराध विचारणीय है।
2. प्रकरण में उल्लेखनीय महत्वपूर्ण स्वीकृत तथ्य यह है कि पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार किया था।
3. अभियोजन का प्रकरण संक्षिप्त में इस प्रकार है कि घटना दिनांक 30.01.2013 को फरियादी शिवराम डावर हम्माली के लिए घर से मण्डी की ओर जा रहा था कि सोसाड़ पुल के पास महेन्द्र के घर के सामने मंडी तरफ से फरियादी का मामा अमरसिंह का पुत्र राकेश रोड़ पार कर रहा था कि अंजड़ की ओर से एक बस गोयल ट्रेवल्स क्रमांक एम.पी. 18 जी. ए. 0447 का चालक बस को तेज गति एवं लापरवाहीपूर्वक चलाकर लाया और राकेश को एकदम से टक्कर मार दी जिससे राकेश की कमर पर चोट आई तथा राकेश बेहोश हो गया था। पास में ही नत्थु चौहान ने चिल्लाकर बस को रोकी व राकेश को ईलाज के लिए अस्पताल भेजा था। पुलिस ने फरियादी शिवराम डावर द्वारा दी

गई सूचना के आधार पर बस क्रमांक एम.पी. 18 जी. ए. 0447 के चालक के विरुद्ध धारा 279, 337 भा.द.सं. में प्रकरण पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना प्रतिवेदन प्रदर्शपी 1 लेखबद्ध की। अनुसंधान के दौरान फरियादी शिवराम की निशांदैही से घटनास्थल का नक्शा मौका पंचनामा प्रदर्शपी 2 बनाया। पुलिस ने मृतक राकेश के शव के पंचनामा बनाने हेतु साक्षियों को प्रदर्शपी 3 का सफीना फार्म जारी कर प्रदर्शपी 4 का नक्शा लाश पंचायतनामा बनाया था। पुलिस ने अभियुक्त अफजल से वाहन बस क्रमांक एम.पी. 18 जी.ए. 0447 मय दस्तावेज तथा अभियुक्त की चालन अनुज्ञप्ति जप्त कर प्रदर्शपी 9 का जप्ती पंचनामा बनाया तथा आहत राकेश की चिकित्सा के दौरान मृत्यु हो जाने से अभियुक्त के विरुद्ध संपूर्ण अनुसंधान उपरांत प्रश्नगत अभियोग-पत्र अंतर्गत धारा 279, 337 304-ए भा.द.सं. न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया

4. अभियोगपत्र के आधार पर मेरे पूर्व के योग्य पीठासीन अधिकारी श्री मसूद एहमद खान, तत्कालीन न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, अंजड़ द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध धारा 304-ए भा.द.सं. के अंतर्गत अपराध विवरण विरचित कर अभियुक्त को पढ़कर सुनाए एवं समझाए जाने पर अभियुक्त ने अपराध अस्वीकार किया। धारा 313 दं.प्र.सं. के परीक्षण में अभियुक्त ने स्वयं का निर्दोष होना व्यक्त किया है तथा बचाव में कोई भी साक्ष्य नहीं देना व्यक्त किया।

5. प्रकरण में विचारणीय प्रश्न यह है कि —

क्या अभियुक्त ने दिनांक 30.02.2013 को दिन के लगभग 01:00 बजे, अंजड़-बड़वानी रोड़, सोसाड़ पुल पार महेन्द्र के घर के सामने वाहन बस क्रमांक एम.पी. 18 जी. ए. 0447 को उपेक्षापूर्ण ढंग से अथवा उतावलेपन से चलाकर राकेश को टक्कर मारकर उसकी ऐसी मृत्यु कारित की, जो आपराधिक मानव वध की कोटि में नहीं आती है ?

यदि हाँ, तो उचित दण्डाज्ञा ?

6. अभियोजन की ओर से अपने पक्ष समर्थन में फरियादी शिवराम डावर (अ.सा.1), अमरसिंह (अ.सा.2), श्रीमती शुभद्रा (अ.सा.3), श्रीमती सुशीला (अ.सा.4), नत्थु (अ.सा.5), लोकेश (अ.सा.6), पंडु (अ.सा.7), डॉ.विजया सकपाल (अ.सा.8) एवं सहायक उपनिरीक्षक रामाश्रय यादव (अ.सा.9) के कथन कराये गये हैं, जबकि अभियुक्त की ओर से अपनी प्रतिरक्षा में किसी भी साक्षी का परीक्षण नहीं कराया गया है।

साक्ष्य विवेचन एवं निष्कर्ष के आधार
उक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में

7. उक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में फरियादी शिवराम डावर अ.सा. 1 का कथन है कि वह अभियुक्त को नहीं जानता है। मृतक राकेश को जानता है। घटना 14 माह पूर्व दोपहर की है। वह घर से खाना खाकर कृषि उपज मण्डी की ओर जा रहा था तभी गौर ट्रेवल्स की बस अंजड़ से बड़वानी जा रही थी, ने राकेश को टक्कर मार दी थी। बस तेज गति से चल रही थी। बस का क्रमांक एम.पी. 46 जी.ए. 0447 था। राकेश को दुर्घटना में सिर एवं शरीर के अंदरूनी जगह पर चोटें आई थी। अभियुक्त घटनास्थल पर बस को कुछ दूरी पर खड़ाकर भाग गया था, इसलिए उसने बस चालक को नहीं देखा था। राकेश को ईलाज के लिए बड़वानी अस्पताल भेजा था, जहाँ राकेश की मृत्यु हो गई थी। उसने घटना की रिपोर्ट थाना अंजड़ पर की थी, जो प्रदर्शपी 1 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस को उसने प्रदर्शपी 2 का घटनास्थल बताया था। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि घटनास्थल चढ़ाई है। वह अपने घर के दाहिनी ओर चलकर मण्डी की ओर जा रहा था तथा राकेश दाहिनी ओर से बायीं ओर जा रहा था। साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि बस चालक बस को तेज गति से नहीं चला रहा था अथवा दुर्घटना राकेश की गलती से हुई है। साक्षी ने स्वीकार किया कि उसने गौर ट्रेवल्स की बस होना लिखा दिया था, यदि प्रदर्शपी 1 की रिपोर्ट में गौर ट्रेवल्स की बस नहीं लिखा हो तो वह कारण नहीं बता सकता है। साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि उसने बस का क्रमांक नहीं देखा था अथवा पुलिस को बस का क्रमांक नहीं बताया था। साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि उसने घटना नहीं देखी थी अथवा वह असत्य कथन कर रहा है।

8. अमरसिंह असा 2 जो कि मृतक का पिता है ने भी दुर्घटना में उसके पुत्र राकेश की मृत्यु होने के संबंध में कथन किये हैं। श्रीमती शुभद्रा अ.सा. 3, श्रीमती सुशीला असा 4, नत्थु असा 5, लोकेश असा 6 ने भी दुर्घटना में राकेश की मृत्यु होने के संबंध में कथन किये हैं। अमरसिंह असा 2 का यह भी कथन है कि पुलिस ने राकेश की लाश का पंचनामा बनाने हेतु सफीना फार्म प्रदर्शपी 3 का जारी किया था तथा नक्शा पंचायतनामा प्रदर्शपी 4 का बनाया था जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। श्रीमती सुशीला असा 4 व नत्थु असा 5 ने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया कि उन्होंने दुर्घटना होते हुए नहीं देखी थी और पुलिस को कोई कथन भी नहीं दिया था। लोकेश असा 6 को अभियोजन द्वारा पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि उसने पुलिस को प्रदर्शपी 7 के कथन में बस क्रमांक एम.पी. 18 जी.ए. 0447 बताया था।

9. पंडू असा 7 ने दिनांक 30.01.13 को थाना अंजड़ के अपराध क्रमांक 20/13 में जप्त बस क्रमांक एम.पी. 18 जी.ए. 0447 का यांत्रिकीय परीक्षण करने पर उसे ठीक अवस्था में होना पाया तथा अपना यांत्रिकीय परीक्षण प्रतिवेदन प्रदर्शपी 8 भी प्रमाणित किया है। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि उक्त वाहन की जाँच थाने पर की थी। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि प्रदर्शपी 8 की लिखावट उसकी नहीं है।

10. डॉ. विजया सकपाल असा 8 ने दिनांक 30.01.2013 को जिला चिकित्सालय बड़वानी में आरक्षक विजय द्वारा जाये जाने पर मृतक राकेश पिता अमरसिंह, आयु 9 वर्ष, निवासी अंजड़ के शव का परीक्षण करने पर उसकी मृत्यु अत्यधिक रक्त स्त्राव से 24 घंटे के भीतर होना बताया है तथा अपना शव परीक्षण प्रतिवेदन प्रदर्शपी 9 भी प्रमाणित किया है।

11. रामाश्रय यादव असा 9 ने दिनांक 30.01.2013 को थाना अंजड़ के अपराध क्रमांक 20/13 की विवेचना के दौरान घटनास्थल सोसाड़ पुल पर पहुँचकर शिवराम की निशांदेही से नक्शा मौका पंचनामा प्रदर्शपी 2 का बनाने, साक्षियों के कथन लेखबद्ध करने तथा अभियुक्त को गिरफ्तार करने तथा अभियुक्त के पेश करने पर बस क्रमांक एम.पी. 18 जी.ए. 0447 दस्तावेजों तथा अभियुक्त की चालन अनुज्ञप्ति सहित जप्त करने के संबंध में कथन किये हैं। साक्षी का यह भी कथन है कि अस्पताल चौकी बड़वानी से राकेश की मृत्यु की सूचना मिलने पर थाना अंजड़ में मार्ग क्रमांक 4/13 प्रदर्शपी 12 का दर्ज करने के संबंध में भी कथन किये हैं। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि वह घटनास्थल पर नहीं गया था अथवा साक्षियों ने उसे कोई कथन नहीं दिया था। साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि उसने अभियुक्त से कोई वाहन जप्त नहीं किया था अथवा वह असत्य कथन कर रहा है।

12. इस प्रकार स्पष्ट रूप से किसी भी अभियोजन साक्षियों ने अभियुक्त द्वारा घटना दिनांक, समय व स्थान पर वाहन क्रमांक एम.पी. 18 जी.ए. 0447 को लोकमार्ग पर उपेक्षापूर्ण ढंग से अथवा उतावलेपन से चलाकर उसकी टक्कर मृतक राकेश को मारने के संबंध में कोई कथन नहीं किये हैं यहाँ तक कि उक्त वाहन अभियुक्त द्वारा घटना के समय चलाये जाने के संबंध में किसी साक्षी या वाहन के मालिक का परीक्षण भी अभियोजन की ओर से नहीं कराया गया है। ऐसी स्थिति में यह प्रमाणित नहीं होता है कि अभियुक्त द्वारा ही घटना दिनांक, समय व स्थान पर उक्त वाहन चलाया जा रहा था और अभियुक्त ने ही उक्त वाहन की टक्कर मृतक राकेश को मारकर उसकी मृत्यु ऐसी परिस्थितियों में कारित की जो आपराधिक मानव वध की श्रेणी में नहीं आता है।

13. उपरोक्त साक्ष्य विवेचन के आलोक में अभियुक्त अफजल के विरुद्ध निर्णय के चरण क्रमांक 5 में उल्लेखित विचारणीय प्रश्न संदेह से परे प्रमाणित नहीं पाया जाता है। अतएव अभियुक्त अफजल को संदेह का लाभ देते हुए धारा 304-ए भा.द.स. के अपराधों से दोषमुक्त किया जाकर उसके जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं ।

14. प्रकरण में जप्तशुदा वाहन बस क्रमांक एम.पी. 18 जी.ए. 0447 दिनांक 01.02.2013 को उसके पंजीकृत स्वामी गिरधारीलाल पिता बनवारीलाल, निवासी-ग्राम धनोरा, जिला बड़वानी म.प्र. को सुपुर्दगीनामे पर दी गई। उक्त सुपुर्दगीनामा अपील अवधि पश्चात अपील न होने की दशा में स्वतः निरस्त समझा जाये। अपील होने की दशा में उक्त जप्तशुदा संपत्ति का निराकरण माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार किया जाये ।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित
एवं हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया ।

मेरे उद्बोधन पर टंकित

(श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
अंजड़, जिला बड़वानी

(श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
अंजड़, जिला बड़वानी